Toppersnotes®
Unleash the topper in you

UPPSC - CSE

सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा

Prelims & Mains

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज

सामान्य अध्ययन

पेपर 2 – भाग 3

समाज, सामाजिक न्याय एवं शासन

SIERRA INNOVATIONS

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

पेपर - 2 भाग - 3

समाज, सामाजिक न्याय एवं शासन

S.No.	Chapter Name	Page No.
1.	**भारतीय समाज** • समाज • जनसांख्यिकीय संरचना • भारतीय समाज का विकास • विषय • भारतीय समाज की विशेषताएं	1
2.	**भारत की सांस्कृतिक पहचान** • संस्कृति की विशेषताएं • भारत की संस्कृति • अमूर्त सांस्कृतिक विरासत • सांस्कृतिक विरासत का महत्व • सरकार की पहल	3
3.	**क्षेत्रवाद** • विशेषताएं • क्षेत्रवाद के प्रकार • क्षेत्रवाद के प्रभाव • क्षेत्रवाद से निपटने के उपाय • भूमि पुत्र • क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधान	5
4.	**धर्मनिरपेक्षता** • भारत में धर्मनिरपेक्षता का इतिहास • संविधान और धर्मनिरपेक्षता • भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लक्षण • सरकारी पहल	8
5.	**सांप्रदायिकता** • भारत में साम्प्रदायिकता • सांप्रदायिकता के तत्व • सांप्रदायिकता के लक्षण • सांप्रदायिकता की विशेषताएं • सरकार के कदम • अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम	14
6.	**भाषावाद** • भाषावाद के कारण • भाषावाद के परिणाम • उपचारी उपाय	17
7.	**जातिवाद** • उत्पत्ति का सिद्धांत • अनुसूचित जाति	20

	• जाति और वोट बैंक की राजनीति	
8.	**अल्पसंख्यक** • अल्पसंख्यक समूह के प्रकार • भारत में अल्पसंख्यक • अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा और रोजगार • सरकार की पहल	**23**
9	**आरक्षण** • ऐतिहासिक विकास • आरक्षण की आवश्यकता • संवैधानिक प्रावधान • प्रमोशन में आरक्षण की मांग • आरक्षण प्रणाली की चिंताएं/चुनौतियां	**25**
10.	**शहरीकरण** • भारतीय शहरीकरण की विशेषताएं • शहरीकरण की प्रक्रिया • भारत में शहरीकरण का विकास • शहरीकरण के कारण • शहरीकरण के सामाजिक प्रभाव • शहरीकरण के वर्तमान मॉडल • शहरीकरण के मुद्दे • शहरीकरण के उपाय • नव गतिविधि	**29**
11.	**वैश्वीकरण** • वैश्वीकरण की सहायता करने वाले कारक • वैश्वीकरण के प्रभाव • वैश्वीकरण 4.0	**35**
12	**कमजोर वर्ग** • कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का औचित्य • समाज के कमजोर वर्ग • बाल/बच्चे • अनुसूचित जनजाति/SC/OBC • युवा • वरिष्ठ नागरिक • विकलांग व्यक्ति • अल्पसंख्यकों • LGBT समुदाय	**39**
13.	**शिक्षा** • भारत में शिक्षा • भारत में शिक्षा की स्थिति • संवैधानिक प्रावधान • शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 • राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 • भारत में शिक्षा	**51**
14.	**गरीबी** • गरीबी के आयाम • गरीबी के प्रकार	**58**

	• भारत में गरीबी के कारण • भारत में गरीबी का अनुमान • गरीबी पर विभिन्न समितियों की सिफारिशें • रंगराजन समिति	
15.	**जनसंख्या और संबंधित मुद्दे** • जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस का सिद्धांत • जनसांख्यिकीय संक्रमण • जनसंख्या पिरामिड • भारतीय जनसंख्या के निर्धारक • जनसांख्यिकीय लाभांश • जनसंख्या नियंत्रण • परिवार नियोजन • जनसंख्या के मुद्दे • प्रवासन • बेघर • राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 • संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA)	**64**
16.	**स्वास्थ्य** • संवैधानिक प्रावधान • स्वास्थ्य संकेतक • भूख और कुपोषण • वैश्विक भूख सूचकांक • भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और बुनियादी ढांचा • यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज • स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में PPP मॉडल • नीतिगत ढांचा • आयुष	**73**
17.	**महिला एवं महिला संगठन** • भारत में महिलाएं • वर्तमान स्थिति • राजनीतिक स्थिति • आर्थिक स्थिति • सामाजिक स्थिति • सांस्कृतिक स्थिति • विविध मुद्दे	**84**
18.	**शासन** • शासन के हितधारक • सुशासन • भारत में शासन • भारत में शासन के मुद्दे • भारत में सुशासन की पहल	**92**
19.	**नागरिक चार्टर** • उत्पत्ति • नागरिक चार्टर के सिद्धांत • नागरिक अधिकार पत्र का महत्व	**96**

	• नागरिक चार्टर और भारत • भारत में नागरिक चार्टर के मुद्दे • द्वितीय एआरसी अनुशंसाएं • सेवोत्तम मॉडल • महत्व • समयबद्ध सेवाओं का वितरण	
20.	**सामाजिक परीक्षण** • प्रकार • सामाजिक लेखा परीक्षा के सिद्धांत • महत्व • सीमाएँ	**98**
21.	**ई-शासन** • प्रयोजन • संभावित नतीजे • ई-गवर्नेंस की संभावना • ई-गवर्नेंस के मॉडल • डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पहल • ई-गवर्नेंस के लिए चुनौतियाँ • दूसरी एआरसी सिफारिशें	**100**
22.	**सिविल सेवाएं** • विकास • वर्तमान स्थिति • संवैधानिक प्रावधान • लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका • संवर्ग के आधार पर सिविल सेवाएं • संवर्ग आधारित सिविल सेवाओं में मुद्दे • सिविल सेवा में पार्श्व प्रवेश • सिविल सेवाओं में मुद्दे	**104**

प्रिय विद्यार्थी, टॉपर्सनोट्स चुनने के लिए धन्यवाद।

नोट्स में दिए गए QR कोड्स को स्कैन करने लिए टॉपर्स नोट्स ऐप डाउनलोड करे ।

ऐप डाउनलोड करने के लिए दिशा निर्देश देखे :-

ऐप इनस्टॉल करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा से या गूगल लेंस से QR स्कैन करें ।

टॉपर्सनोट्स एग्जाम प्रिपरेशन ऐप

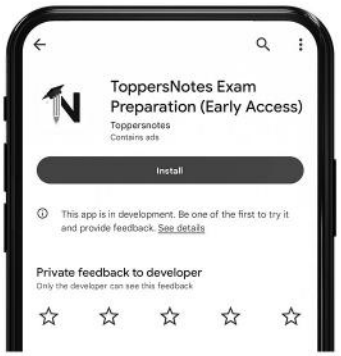

टॉपर्सनोट्स ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से ।

लॉग इन करने के लिए अपना **मोबाइल नंबर** दर्ज करें ।

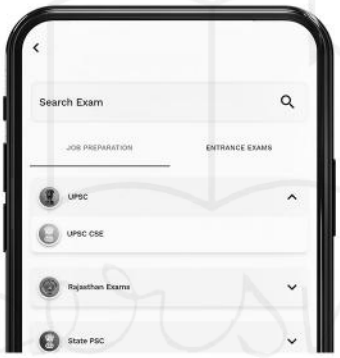

अपनी **परीक्षा श्रेणी** चुनें ।

सर्च बटन पर क्लिक करें ।

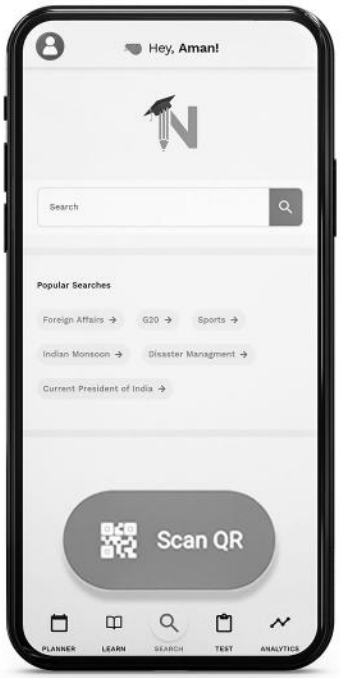

SCAN QR पर क्लिक करें ।

किताब के **QR कोड को स्कैन** करें ।

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए
hello@toppersnotes.com पर मेल करें
या **766 56 41 122** पर whatsapp करें ।

Thank You!!

for Choosing Toppersnotes

50% OFF

Just for you!!

USE CODE : **TOPPER50**

Coupon valid only for 30 days after purchase.

Scan the QR code and login from your registered phone number

UPPCS TEST SERIES

~~₹1499~~ ~~₹999~~ **₹499**

(After coupon)

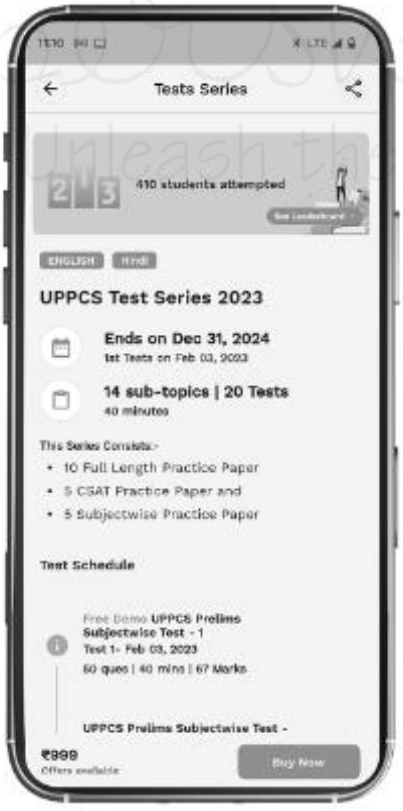

- 5 Subject-wise Test
- 10 Full Length Test
- 5 CSAT Test
- Based on Latest sylabus.
- Up Centric question according to new pattern
- Bilingual
- Comprehensive coverage
- High-quality questions
- Detailed explanations
- Performance analysis
- Flexibility - At your own pace
- Peer comparison on leader board
- Affordable pricing
- Designed by Toppers and top faculty.

How to use the Coupon Code?

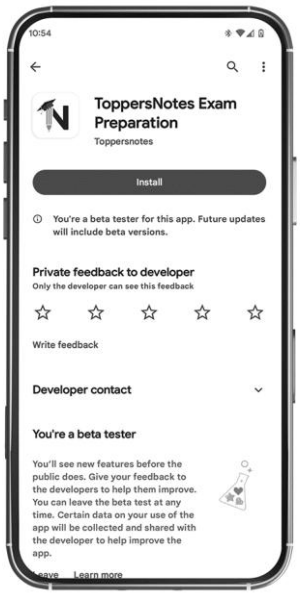

STEP:1

Scan the QR code from the back page and install the Toppersnotes learning app.

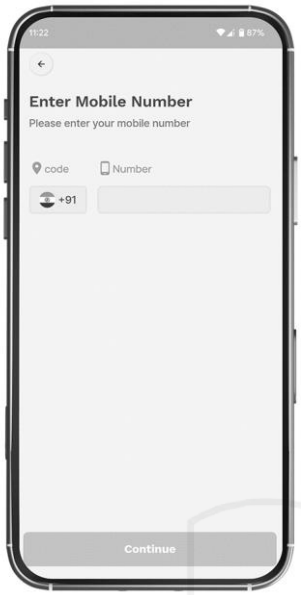

STEP:2

login with your registered phone number and select your exam.

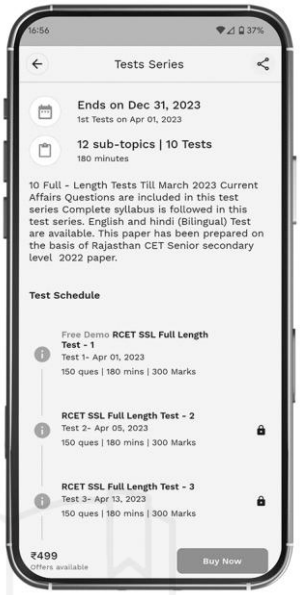

STEP:3

On the test series page you can try demo test or Click on buy now

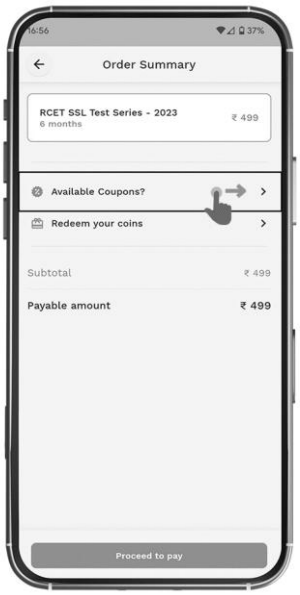

STEP:4

Click on apply coupon

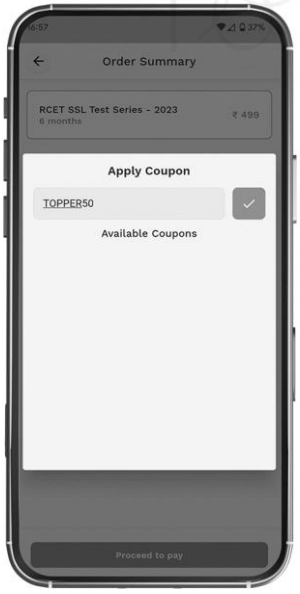

STEP:5

Enter the coupon code.

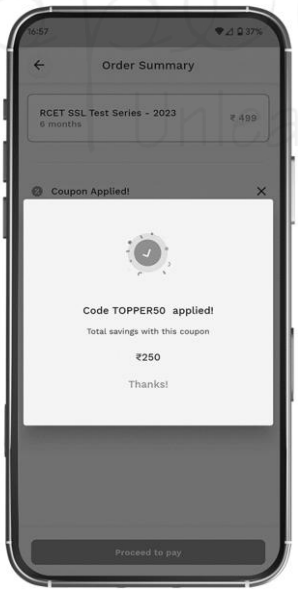

STEP:6

Your code will be applied and then proceed with the payment.

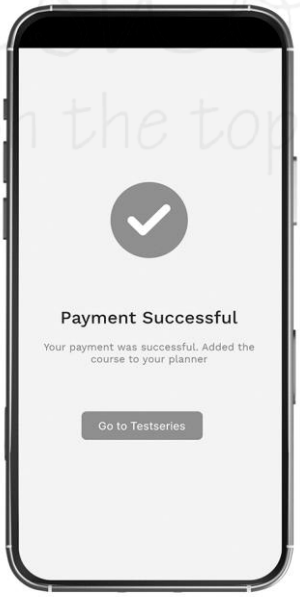

STEP:7

After successful payment click on go to test series

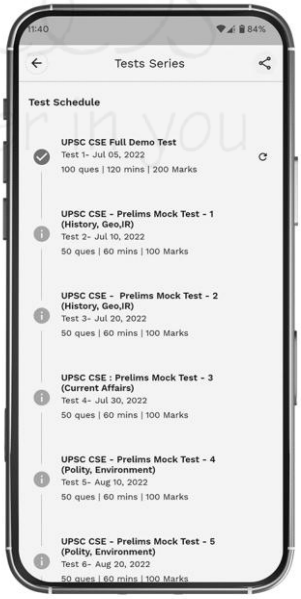

STEP:8

Your test series subscription is active now

For any technical support or queries call

9614-828-828

Email

apps@toppersnotes.com

1
CHAPTER

भारतीय समाज

समाज

- **पीटर एल. बर्जर:** समाज एक मानवीय उत्पाद है जो लगातार अपने उत्पादकों पर कार्य करता है।
- **आर.एम. मैक्लेवर:** समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो हमेशा बदलता रहता है जहां एक व्यक्ति इसकी मूल इकाई बनाता है।
- इसमें मनुष्यों के समूह होते हैं जो विशिष्ट प्रणालियों और रीति-रिवाजों, संस्कारों और कानूनों का उपयोग करते हुए एक साथ जुड़े होते हैं और एक सामूहिक सामाजिक अस्तित्व रखते हैं।

एक पारंपरिक समाज की विशेषताएं

- व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म से निर्धारित होती है और सामाजिक गतिशीलता के लिए प्रयास नहीं करती है।
- व्यवहार रीति-रिवाजों, परंपराओं, मानदंडों और मूल्यों के अधीन होता है।
- सामाजिक संगठन या व्यक्तियों के बीच संबंध पदानुक्रम पर आधारित होते हैं।
- सम्बन्धों में रक्त-सम्बन्धों की प्रधानता होती है।
- व्यक्ति को जितने महत्व का अधिकार प्राप्त होता है उसको उससे अधिक महत्व दिया जाता है।
- रूढ़ीवादी।
- जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था।
- पौराणिक विचार प्रबल होते हैं।

जनसांख्यिकीय संरचना

- जनसांख्यिकी (डेमोग्राफी): किसी देश, क्षेत्र या समुदाय की आबादी का वैज्ञानिक अध्ययन।
- डेमोग्राफी → डेमोस लोग + ग्रेफ़ीन ग्राफ

जनसांख्यिकी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है -

- **औपचारिक जनसांख्यिकी:** जनसंख्या का एक सांख्यिकीय विश्लेषण, जिसमें कुल जनसंख्या, पुरुषों और महिलाओं की संख्या, युवाओं की संख्या, कामकाजी आबादी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या (मात्रात्मक आंकड़े) शामिल हैं।
- **सामाजिक जनसांख्यिकी:** किसी समुदाय में होने वाले जन्म, मृत्यु और प्रवास की संख्या।

यह चार प्रक्रियाओं से बना है:

- जनसांख्यिकीय संरचना: एक क्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या,
- जनसांख्यिकीय प्रक्रियाएं: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन,
- सामाजिक संरचना: एक क्षेत्र की संरचना,
- सामाजिक प्रक्रियाएँ: वे प्रक्रियाएँ जिनके द्वारा व्यक्ति समाज में शांति और सद्भाव के साथ एक साथ रहना सीखते हैं। जैसे: सहयोग, आवास, मध्यस्थता आदि।

भारतीय समाज का विकास

प्राचीन काल

- भारतीय समाज एक स्तरीकृत समाज था।
- ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है कि समाज आर्यों और गैर-आर्यों में विभाजित था।

व्यवसायों के आधार पर आर्य समाज को आगे 4 समूहों में विभाजित किया गया:

- ब्राह्मण
- क्षत्रिय
- वैश्य
- शूद्र
- सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों का यह विभाजन एक आदर्श और सामाजिक उपकरणों का अंग बन गया।

मध्य काल

- भारतीय संस्कृति भाषा, संस्कृति और धर्म को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के दौर से गुजरी।
- हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के टकराव ने मिश्रित संस्कृति को जन्म दिया: सूफी लेखन, भक्ति आंदोलन, कबीर पंथ।

आधुनिक भारत

- आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अंग्रेजों के आगमन ने अखिल भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय सामाजिक जागृति के पुन: उदय को चिह्नित किया।
- स्वतंत्रता के बाद विभिन्न जाति समूहों धर्मों, जाति जनजातियों, भाषाई समूहों को मिला दिया।
- धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी स्वरुप के अपने लक्ष्यों के रूप में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श स्थापित।

विषय

पदानुक्रम

- भारत एक सामाजिक रूप से पदानुक्रमित देश है, चाहे उत्तर या दक्षिण भारत में, हिंदू या मुस्लिम, शहरी या ग्रामीण, लगभग हर चीज, लोगों और सामाजिक समूहों का मूल्यांकन विभिन्न प्रकार के आवश्यक गुणों के आधार पर किया जाता है।

- जाति समूह, व्यक्ति, और परिवार और रिश्तेदार समूह सभी सामाजिक पदानुक्रम प्रदर्शित करते हैं।
- यद्धपि जातियाँ हिंदू धर्म से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जाति-जैसा समूह मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य धार्मिक समूहों में भी पाए जा सकते हैं।
- अधिकांश गांवों या कस्बों में हर कोई स्थानीय रूप से प्रतिनिधित्व की जाने वाली प्रत्येक जाति के सापेक्ष श्रेणी से अवगत है, और यह जानकारी लगातार व्यवहार को निरुपित कर रही है।
- परिवारों और रिश्तेदारी समूहों के भीतर, पदानुक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें पुरुष समान उम्र की महिलाओं से आगे निकल जाते हैं और बड़े रिश्तेदार कनिष्ठ रिश्तेदारों से अग्रणी हो जाते हैं।

पवित्रता और प्रदूषण

- सामाजिक स्थिति की असमानताएँ: धार्मिक शुद्धता और प्रदूषण के संदर्भ में व्यक्त की जाने वाली अवधारणाएँ जातियों, धार्मिक समूहों और स्थानों के बीच व्यापक रूप से फैली हुई हैं।
- पवित्रता: सामान्यत: उच्च पद को पवित्रता से जोड़ा जाता है।
- प्रदूषण: निम्न पद प्रदूषण से जुड़ा है।
- कुछ प्रकार की पवित्रता अंतर्निहित होती है।
- उदाहरण: उच्च कोटि के ब्राह्मण या पुरोहित जाति का एक सदस्य सफाईकर्मी, या मेहतर, जाति की तुलना में अधिक आंतरिक स्वच्छता के साथ पैदा होता है।
- अन्य प्रकार की शुद्धता अधिक क्षणभंगुर होती है।
- **उदाहरण:** हाल ही में नहाया हुआ ब्राह्मण उस व्यक्ति की तुलना में अधिक पवित्र होता है जिसने दिन में स्नान नहीं किया है।

अनुष्ठान स्वच्छता, पवित्रता से जुड़ी होती है जिसमें सम्मिलित हैं:

- बहते पानी में रोज नहाना,
- ताज़े धुले हुए कपड़े पहनना,
- केवल अपनी जाति के अनुकूल भोजन करना,
- निम्न श्रेणी के व्यक्तियों या अशुद्ध चीजों के सीधे संपर्क से बचना।
- **उदाहरण:** दूसरे वयस्क के शरीर का अपशिष्ट।
- हिंसा में शामिल होना धार्मिक रूप से अपवित्र है।

परस्पर निर्भरता

- लोग परिवारों, कुलों, उपजातियों, जातियों और धार्मिक समुदायों में पैदा होते हैं, और वे उनसे अटूट रूप से जुड़े हुए महसूस करते हैं।
- मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिवार में उच्च स्तर की भावनात्मक निर्भरता होती है।
- आर्थिक गतिविधियाँ सामाजिक संरचना पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं।
- प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रिश्तेदारी संबंधों के माध्यम से परिजन से जुड़ा होता है।
- सामाजिक संबंध किसी भी गतिविधि में व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं।
- धार्मिक रूप से, अंतर्संबंध के बारे में जागरूकता होती है।
- एक बच्चा जन्म से सीखता है कि उसका "भाग्य" दैवीय शक्तियों द्वारा "लिखा" गया है और उसके अस्तित्व को सर्वशक्तिमान देवताओं द्वारा स्वरूप दिया गया है जिनके साथ उसका निरंतर संपर्क होना चाहिए।

भारतीय समाज की विशेषताएं

- **बहुजातीय समाज:** भारत में नस्लीय समूहों की एक विशाल श्रृंखला के सह-अस्तित्व के कारण, भारतीय समाज चरित्र में बहु-जातीय है।

समूहों के प्रकार

- जातीय-भाषाई: साझा भाषा और बोली। उदाहरण: फ्रांसीसी कनाडाई।
- जातीय-राष्ट्रीय: साझा राजनीति या राष्ट्रीय पहचान की भावना। जैसे: ऑस्ट्रियाई।
- जातीय-नस्लीय: आनुवंशिक उत्पत्ति के आधार पर साझा शारीरिक उपस्थिति। उदाहरण: अफ्रीकी अमेरिकी।
- जातीय-क्षेत्रीय: सापेक्ष भौगोलिक अलगाव से पनपी अपनेपन की एक विशिष्ट स्थानीय भावना। उदाहरण: न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंडर्स।
- जातीय-धार्मिक: किसी विशेष धर्म, संप्रदाय या संप्रदाय के साथ साझा संबद्धता। जैसे: यहूदी।

  बहुभाषी समाज: भारत में 1600 से अधिक भाषाएँ बोली जाती है।

  बहु-वर्गीय समाज: भारतीय समाज और सामाजिक स्थिति के आधार पर कई वर्गों में विभाजित है।

  पितृसत्तात्मक समाज: महिलाओं की तुलना में पुरुषों की सामाजिक स्थिति उच्च होती हैं।

अनेकता में एकता: भारत में विविधता कई स्तरों पर और अनेक रूपों में विद्यमान है, फिर भी सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं में एक बुनियादी एकता बनी हुई है।

परंपरावाद और आधुनिकता का सह-अस्तित्व:

- **परंपरावाद:** आवश्यक विश्वासों को अक्षुणा रखना या उनका संरक्षण करना।
- **आधुनिकता:** तर्कसंगत सोच, सामाजिक, वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की ओर एक कदम।

अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के मध्य संतुलन प्राप्त करना: अध्यात्मवाद का मूल लक्ष्य लोगों की ईश्वर के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करना है।

- भौतिकवाद आध्यात्मिक आदर्शों पर भौतिक वस्तुओं और शारीरिक आराम को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति है।

व्यक्तिवाद और सामूहिकवाद संतुलन में हैं - व्यक्तिवाद एक नैतिक, राजनीतिक या सामाजिक दृष्टिकोण है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता पर बल देता है।

- सामूहिकता प्रत्येक व्यक्ति पर एक समूह को प्राथमिकता देने की प्रथा है। भारतीय समाज में इनके बीच एक कमजोर संतुलन है।
- **रक्त संबंध और नातेदारी:** अन्य सामाजिक अंतःक्रियाओं में महत्वपूर्ण लाभ रखते हैं और जीवन के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।

2
CHAPTER

भारत की सांस्कृतिक पहचान

- यह सामाजिक जीवन के मुख्य रूप से अमूर्त घटकों की एक विस्तृत और विविध श्रेणी है।
- मूल्य, विश्वास, भाषा की प्रणाली, संचार और व्यवहार जो लोग साझा करते हैं और जिनका उपयोग उन्हें एक समूह के रूप में चिह्नित करने के लिए किया जा सकता है।
- किसी समूह या समुदाय द्वारा साझा की जाने वाली भौतिक चीजें भी संस्कृति का भाग मानी जाती हैं।

संस्कृति की विशेषताएं

- **संस्कृति सीखी जाती है:** संस्कृति जैविक रूप से विरासत में नहीं मिलती है, बल्कि सामाजिक रूप से सिखाई जाती है। यह जन्मजात प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि दूसरों के संबंध से प्राप्त होता है।
- **संस्कृति एक सामाजिक घटना है:** यह एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि समाज का एक उत्पाद है। यह समाज में सामाजिक संपर्क के परिणामस्वरूप उभरता है।
- **संस्कृति साझा की जाती है:** संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसे साझा किया जाता है। यह एक व्यक्ति द्वारा संचारित नहीं किया जा सकता वल्कि एक क्षेत्र की आम आबादी द्वारा साझा किया जाता है।
- एक सामाजिक वातावरण में, मनुष्य परंपराओं, मूल्यों और विश्वासों को साझा करता है। इन विचारों और प्रथाओं को हर कोई साझा करता है।
- **संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जा सकता है:** भाषा संचार का एक माध्यम है जो सांस्कृतिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है।
- **संस्कृति एक सतत प्रक्रिया है**: यह एक धारा की तरह है जो युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी बहती है। "संस्कृति मानव जाति की यादें हैं।"
- **संस्कृति एकीकृत है:** संस्कृति के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संस्कृति अपने विविध घटकों के संयोजन से विकसित होती है। मूल्य प्रणाली नैतिकता, मानदंडों, विश्वासों और धर्म से जुड़ी हुई है।
- **संस्कृति विकसित हो रही है:** यह स्थिर नहीं है, बल्कि बदल रही है। सांस्कृतिक प्रक्रिया में परिवर्तन होते हैं। हालाँकि, दरें सभ्यता से समाज और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती रहती हैं।

भारत की संस्कृति

- कई समूहों के अस्तित्व के कारण, जो भारत की विविधता में एक विशिष्ट मिश्रण का योगदान करते हैं, इसे एक विशाल सांस्कृतिक रूप से विविध देश माना जाता है।
- कई सांस्कृतिक रूप से विविध तत्वों ने भारत को अन्य प्रमुख देशों की तुलना में एक विषम चरित्र दिया है।

भारत में विविधता के सांस्कृतिक तत्व

धार्मिक विविधता

- भारत दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का घर है और उनका पालन करता है।
- विदेशी धर्मों ने स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर एक अनूठा संयोजन बनाया है जो कहीं और नहीं मिल सकता है।
- उदाहरण: महाराष्ट्र में पारसी और स्थानीय संस्कृतियों का मिलन।

भाषा

- भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक भाषाई विविधता वाला देश है।
- ये भाषाएँ सैकड़ों वर्षों में विकसित हुई हैं, इस भाषाई विविधता के परिणामस्वरूप भारत में एक जीवंत मिश्रण आया है।
- विचारों और मुद्दों में एक मौलिक सामंजस्य है।

त्यौहार

- भारत में हर क्षेत्र और समूह के अपने अनूठे त्यौहार हैं जो उनकी सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हैं।
- ये त्यौहार उनकी संस्कृति की जीवनदायिनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्हें सावधानीपूर्वक संरक्षित और मनाया जाता है।
- ये उत्सव पीढ़ियों के माध्यम से समुदायों की पहचान को पारित करने की अनुमति देते हैं।
- जैसे: पंजाब में लोहड़ी, केरल में पोंगल और पूर्वोत्तर में बिहू।

जाति

- भारत दुनिया की कई प्रमुख जातियों का मेजबान है।
- सैकड़ों वर्षों में, इन जातियों ने वर्तमान नस्लों का निर्माण किया है जिसके परिणामस्वरूप भारत में कई नस्लों का उदय हुआ है।
- जैसे: इंडो-आर्यन जाति, द्रविड़ जाति, आदि।

राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में सांस्कृतिक तत्वों का महत्व

सहिष्णुता

- विभिन्न संस्कृतियों की उपस्थिति के कारण भारत सहिष्णुता का एक प्रतीक बन गया है।
- भारत की सांस्कृतिक विविधता की सराहना एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण है जहां लोग रंग और भाषा से जूझ रहे हैं।

अनेकता में एकता

- भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा गया है जो अपने कई सांस्कृतिक पहलुओं के परिणामस्वरूप सभी परंपराओं और विश्वासों का सम्मान करता है।
- इसने विविधता में एकता के मंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

- वह संस्कृति जो हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली और हमारे वंशजों को मिली, इसमें शामिल हैं:
- मौखिक परंपराएं,
- कला प्रदर्शन,
- सामाजिक प्रथाएं,
- रिवाज,
- उत्सव,
- प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास,
- पारंपरिक शिल्प का उत्पादन करने के लिए ज्ञान और कौशल।
- वैश्वीकरण की स्थिति में सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एक महत्वपूर्ण घटक है।
- यूनेस्को के अनुसार "सांस्कृतिक विरासत स्मारकों और वस्तुओं के संग्रह पर समाप्त नहीं होती है। इसमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराएं या जीवित अभिव्यक्तियां भी शामिल हैं और हमारे वंशजों को पारित की जाती हैं, जैसे कि मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कला, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, उत्सव की घटनाएं, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और अभ्यास या पारंपरिक उत्पादन करने के लिए ज्ञान और कौशल शिल्प"।
- भारत से कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) तत्वों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है।

सांस्कृतिक विरासत का महत्व

भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल

- एक राजनयिक साधन: दो जातियों को एक-दूसरे की संवेदनाओं से परिचित कराने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों की मेजबानी करके अन्य राष्ट्रों के साथ सभ्यतागत अंतराल और असमानताओं को पाटना।
- सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उपयोग अक्सर विविधता के बावजूद राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
- उचित सांस्कृतिक विरासत संरक्षण समन्वयवाद के लिए सहिष्णुता को प्रदर्शित करता है, यह सबक सिखाता है कि मनुष्य सहस्राब्दियों से कैसे सह-अस्तित्व में है।
- पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक विरासत का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे दुनिया भर में अधिक लोग यात्रा करते हैं।
- परिणामस्वरूप, अन्य संस्कृतियों के ज्ञान की कमी से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भ्रांतियों और भ्रांतियों का अधिक आदान-प्रदान और कमजोर पड़ता है।
- जलवायु परिवर्तन: सांस्कृतिक विरासत दुनिया की बढ़ती कठिनाइयों के समाधान लाने के लिए "ज्ञान अर्थव्यवस्था" के निर्माण और विस्तार का एक स्रोत है।

सरकार की पहल

विरासत योजना अपनाना

- संयुक्त पहल: पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें।
- परिचय: 27 सितंबर, 2017 (विश्व पर्यटन दिवस)।

लक्ष्य

- "नैतिक पर्यटन" को सफलतापूर्वक बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- विरासत और पर्यटन को अधिक टिकाऊ बनाने की जिम्मेदारी लेने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमों के साथ-साथ नागरिकों को भी प्राप्त करें।
- ASI/राज्य ऐतिहासिक स्थलों के साथ-साथ भारत के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचनाओं और सुविधाओं के विकास, संचालन और रखरखाव के माध्यम से पूरा किया गया।

उद्देश्य:

- पर्यटन अवसंरचनाओं की नींव विकसित करना।
- एक विरासत स्थल/स्मारक या एक पर्यटक आकर्षण के लिए, एक सर्व-समावेशी पर्यटक अनुभव।
- आय पैदा करने के लिए देश की सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा देना।
- विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान करके साइट की पर्यटन अपील को स्थायी तरीके से बढ़ाना।
- स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से रोजगार सृजित करना

3 CHAPTER क्षेत्रवाद

इससे अभिप्राय

- किसी देश के किसी विशेष क्षेत्र के प्रति लगाव की प्रबल भावना और इसके लिए राजनीतिक रूप से अधिक स्वतंत्र होने की इच्छा से है।
- सिर्फ एक भौगोलिक इकाई से ज्यादा; यह सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कारकों के संगम का परिणाम है।
- **सकारात्मक अर्थों में क्षेत्रवाद:** यह व्यक्तियों को एक क्षेत्र के हितों की रक्षा के साथ-साथ राज्य और उसके लोगों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ भाईचारे और एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- **नकारात्मक अर्थों में क्षेत्रवाद:** यह किसी के क्षेत्र के प्रति अत्यधिक समर्पण को दर्शाता है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा है। खालिस्तान, बोडोलैंड और ग्रेटर नगालिम में मांग।

विशेषताएं

- क्षेत्रवाद एक मनोवैज्ञानिक घटना है।
- समूह की पहचान और क्षेत्र के प्रति निष्ठा की अभिव्यक्ति के आसपास गठित शब्दावली।
- यह अन्य स्थानों के व्यक्तियों को एक निश्चित क्षेत्र से लाभान्वित होने से रोकता है।

क्षेत्रवाद के प्रकार

सुप्रा-राज्य क्षेत्रवाद

- राज्यों का एक समूह राज्यों के दूसरे समूह के साथ, या यहां तक कि संघ के खिलाफ पारस्परिक रूप से लाभप्रद विषय पर एक एकीकृत रुख अपनाने के लिए शामिल होता है।
- राज्य की पहचान का स्थायी रूप से सामान्य पहचान में विलय का उदाहरण नहीं है। उनके सहयोग के साथ-साथ अंतर-समूह प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष कई बार मौजूद हो सकते हैं।
- उदाहरण: भारत के उत्तर पूर्वी राज्य

अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद

- प्रांतीय क्षेत्रों से सटा हुआ है और एक या एक से अधिक राज्यों की पहचानों के संयोजन पर जोर देता है। यह भी एक विशिष्ट समस्या है।
- समस्या इसलिए उठाई जाती है क्योंकि इससे उनका उत्साह कम हो जाता है।
- उदाहरण: कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच मतभेद।

अंतर्राज्यीय क्षेत्रवाद

- राज्य का एक वर्ग आत्म-पहचान और आत्म-विकास के लिए लड़ता है।
- यह राज्य और राष्ट्र के सामूहिक हितों के लिए हानिकारक है।
- उदाहरण: महाराष्ट्र का विदर्भ, गुजरात का सौराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना और उत्तर प्रदेश का पूर्वी यूपी।

क्षेत्रवाद के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

- कई व्यक्तियों के लिए पहचान का स्रोत बन जाता है और ऐसी पहचानों का आवास भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने के लिए लाभदायक है। जैसे: नागा आंदोलन
- अविकसित क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायक। उदा. महाराष्ट्र में विदर्भ की मांग विशेष रूप से क्षेत्र की आर्थिक दूरदर्शिता को दूर करने के लिए है।
- क्षेत्रीय असंतुलन और चिंताओं के साथ-साथ उन्हें संबोधित करने की क्षमता पर ध्यान देना। राज्य का दर्जा मिलने के बाद उत्तराखंड का तेजी से विकास।
- एक क्षेत्र में अंतरसमूह एकजुटता के लिए नेतृत्व।

नकारात्मक प्रभाव

- आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां: देश की मुख्यधारा के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के खिलाफ क्षेत्रीय भावनाओं को बढ़ावा देने वाले उग्रवादी संगठनों द्वारा।
- राजनीति पर प्रभाव: जैसे-जैसे गठबंधन सरकार और गठबंधनों के दिन बीतते हैं, राजनीति पर क्षेत्रवाद का प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय मांगें राष्ट्रीय मांग बन जाती हैं, स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियां लागू की जाती हैं और ये नीतियां आम तौर पर देश के सभी हिस्सों में लागू होती हैं। नतीजतन, क्षेत्रीय जरूरतें राष्ट्रीय नीतियों पर तेजी से हावी हो रही हैं।
- क्षेत्रवाद की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक हिंसा है। लोग क्षेत्रीय पहचान बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा ले सकते हैं, जैसे असम आंदोलन के दौरान नेल्ली नरसंहार के मामले में।

- व्यवसाय पर प्रभाव: स्थानीय लोगों को क्षेत्रीय इच्छा के कारण निजी निवेशकों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से भर्ती करने में समस्या होती है। नतीजतन, निजी उद्यमों को अक्सर स्थानीय लोगों, भूमि के बंटवारें के लिए पदों और अनुबंधों को आरक्षित करने की आवश्यकता होती है।
- यह विदेशी तत्वों (जैसे आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों) को क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करने और जनता को आंदोलन करके अराजकता पैदा करने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है।
- इसका फायदा उठाया जा सकता है और वोट पाने के लिए राजनीतिक प्रभाव हासिल करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

क्षेत्रवाद से निपटने के उपाय

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना

- क्षेत्रवाद के लिए किसी क्षेत्र के निवासियों के मध्य असंतोष का प्रमुख स्रोत क्षेत्रीय असंतुलन ही रहा है।
- यदि राष्ट्रीय संसाधनों का संतुलित तरीके से वितरण किया जाए तो क्षेत्रवाद की समस्या कम हो जाएगी।

क्षेत्रीय दलों का उन्मूलन

- क्षेत्रीय दलों का लोगों की क्षेत्रीय भावनाओं को गाली देने का एक अस्पष्ट इतिहास रहा है और यह क्षेत्रवाद की नींव को मजबूत करता है।
- नतीजतन, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा करने वाले सभी क्षेत्रीय दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।
- संस्कृति-संक्रमण
- श्लोगों के क्षेत्रीय समूहों की सांस्कृतिक पहचान भी संरक्षित है। प्रत्येक समूह के लिए, यह विविध क्षेत्रीय और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के बीच संबंधों को परिसीमित करता है।
- क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ने और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए बार-बार सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह काफी संभावना है, जबकि प्रत्येक क्षेत्र का अपना विशिष्ट लोक या जनजातीय संगीत होता है, क्रॉस-क्षेत्रीय प्रभाव असामान्य नहीं हैं।

परिवहन और संचार के विकसित साधन

- देश के अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों में देश के बाकी हिस्सों के लिए उपयुक्त परिवहन और संचार लिंक का अभाव है।
- नतीजतन, अन्य क्षेत्रीय समूहों के साथ उनकी भागीदारी और संपर्क सीमित है, और वे अलगाव की भावना का अनुभव करते हैं।
- परिणामस्वरूप, आर्थिक और सामाजिक विकास को पिछड़े क्षेत्रों में लाने के लिए परिवहन और संचार प्रणालियों को बनाने की आवश्यकता है।

उचित शिक्षा

- विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां अध्ययन का प्रेम इतनी जल्दी शुरू हो गया हो या भारत जैसा दीर्घकालिक और महत्वपूर्ण प्रभाव रहा हो। नतीजतन, अलगाववादी आवेगों का मुकाबला करने और देशवासियों के बीच राष्ट्रीय गौरव की मजबूत भावना को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा को एक बहुत प्रभावी उपकरण के रूप में देखा जा सकता है।

भूमि पुत्र

- एक राज्य पूरी तरह से स्वदेशी व्यक्तियों का होता है, जो भूमि के पुत्र या स्थानीय निवासी होते हैं।
- प्रवासी और स्थानीय रूप से शिक्षित मध्यम वर्ग के युवाओं के बीच नौकरियों और संसाधनों की प्रतिद्वंद्विता के कारण, विचारधारा जोर पकड़ रही है।
- उदाहरण: महाराष्ट्र मराठों का घर है, और गुजरात गुजरातियों का घर है।

प्रमुख विशेषता

- यह एक देश के एक हिस्से में केंद्रित अल्पसंख्यक जातीय समूह के सदस्यों और अपेक्षाकृत हाल ही में, देश के अन्य हिस्सों से इस क्षेत्र में जातीय रूप से अलग प्रवासियों के बीच संघर्ष को दर्शाता है।
- अल्पसंख्यक समूह के सदस्यों का मानना है कि वे इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और उन्हें इसे अपना घर कहने का अधिकार है क्योंकि यह उनका पुश्तैनी (या कम से कम बहुत पुराना) घर है।
- "संघर्ष" शब्द भूमि, रोजगार, शैक्षिक कोटा, सरकारी सेवाओं और प्राकृतिक संसाधनों जैसे सीमित संसाधनों पर प्रतिद्वंद्विता और विवादों को संदर्भित करता है। यह संभव है कि एक ऐसी लड़ाई हिंसक हो, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है।

क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 19:** क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को व्यक्त करने और किसी क्षेत्र की उपेक्षा होने पर सरकार की आलोचना करने के लिए वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- जनजातीय पहचान को संरक्षित करने के लिए अनुसूची 5 और 6 में प्रावधान है।
- **अनुच्छेद 38:** (DPSP) व्यक्तियों और क्षेत्रों के बीच आय की स्थिति और अवसर में असमानता से निपटने के लिए प्रावधान करना।

- **अनुसूची 7:** (शक्ति का विभाजन) राज्य के माध्यम से अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता देने के लिए केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का नियोजन।
- **अनुसूची 8:** इसके अंतर्गत भारत के संविधान में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई है।
- **अनुच्छेद 79 और 80:** राज्यों की परिषद के रूप में राज्य सभा के प्रावधान।
- **अनुच्छेद 368:** यदि कोई संशोधन संघवाद को प्रभावित कर रहा है तो आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के लिए संशोधन प्रक्रिया।

राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास

- 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम: विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के हितों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषदें।

उत्तर-पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1971

- आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए नए राज्यों का निर्माण। जैसे: तेलंगाना।
- पिछड़े राज्यों को योजना सहायता: पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
- संघीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग जैसे नए संस्थागत ढांचे।
- राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी परिषद।
- राज्य शिक्षा संस्थानों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव और छात्र विनिमय कार्यक्रम।
- एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम।

क्षेत्रवाद बनाम राष्ट्रवाद

- **राष्ट्रवाद:** जाति, पंथ, संस्कृति, धर्म या क्षेत्र की परवाह किए बिना देश के सभी लोगों द्वारा साझा किए गए एक ही देश से संबंधित होने की भावना।
- राष्ट्र अपने सभी निवासियों को एक संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों और गान के माध्यम से एक साथ लाने का प्रयास करता है।
- **क्षेत्रवाद:** राष्ट्रीय सरोकारों से ऊपर स्थानीय चिंताओं को प्राथमिकता देता है, यह राष्ट्रीय प्रगति में बाधा डाल सकता है।
- क्षेत्रवाद सिर्फ एक क्षेत्र और संस्कृति की विरासत का सम्मान करता है।
- क्षेत्रवाद एक ही देश के भीतर विभिन्न समुदायों के निर्माण को बढ़ावा देता है और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयासों को रोकता है।

4 CHAPTER धर्मनिरपेक्षता

इससे अभिप्राय

- जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों से धर्म को अलग करना और धर्म को पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला मानना होता है।
- धर्मनिरपेक्ष: धर्म के प्रति या बिना धार्मिक आधार के "अज्ञेयवादी" होना।
- यह धार्मिक संगठनों और धार्मिक गणमान्य व्यक्तियों को सरकारी संस्थानों और राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य लोगों से अलग करने की धारणा है।
- 42वां संशोधन अधिनियम 1976: संविधान की प्रस्तावना में भारत को "धर्मनिरपेक्ष" देश के रूप में वर्णित किया गया है। संस्थाओं ने सभी धर्मों को स्वीकार करना और उन्हें अपनाना शुरू कर दिया, धार्मिक नियमों के बजाय संसदीय कानूनों को लागू किया और विविधता को महत्व दिया।
- एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति: वह व्यक्ति जिसके नैतिक मूल्य धार्मिक रूप से पक्षपाती नहीं हैं। उनके लक्ष्य उनके तर्कसंगत और वैज्ञानिक तर्क का परिणाम हैं।

- धर्मनिरपेक्षीकरण: सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके माध्यम से सार्वजनिक मामलों में धर्म का प्रभाव कम हो जाता है।
- संस्कृतिकरण: समाज के धर्मनिरपेक्ष और अनुष्ठान पदानुक्रम में परिवर्तन।
- बहुलवाद: यह विचार कि सभी धर्म समान रूप से मान्य हैं।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का इतिहास

प्राचीन इतिहास

- भारत में, धर्मनिरपेक्षता सिंधु घाटी संस्कृति से जुड़ी है।
- तराई मेसोपोटामिया और हड़प्पा के शहरों में याजकों का प्रभुत्व नहीं था।
- इन शहरी संस्कृतियों में, नृत्य और संगीत धर्मनिरपेक्ष थे।
- परिणामस्वरूप, धर्म अधिक लचीला और कम कठोर हो गया; यह एक ही समय में बहुदेववादी होने के साथ-साथ अज्ञेयवादी, नास्तिक, नास्तिक और सर्वेश्वरवादी भी था।
- इसके बाद आने वाले धार्मिक विश्वासों ने विभिन्न धार्मिक विचारों की इस सहिष्णुता और स्वीकृति को बनाए रखा।
- प्राचीन भारत में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता थी, और राज्य ने सभी को नागरिकता प्रदान की, भले ही उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या किसी अन्य धर्म का पालन किया हो।

मध्यकालीन इतिहास

- धार्मिक सहिष्णुता और पूजा की स्वतंत्रता अकबर के शासनकाल की पहचान थी
  - उनके पास कई हिंदू मंत्री थे, उन्होंने बलपूर्वक धर्मांतरण पर रोक लगाई और जजिया की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया।
  - 'दीन-ए-इलाही' की घोषणा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम घटक शामिल थे, उनकी सहिष्णुता नीति की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति थी।

आधुनिक इतिहास

- इस तथ्य के बावजूद कि ब्रिटिश प्रशासन ने भारत को सामान्य कानून प्रदान किया, इसकी "फूट डालो और राज करो" की नीति ने सांप्रदायिक संघर्ष को जन्म दिया।
- 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी।
- भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा दलित वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई, जिसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को आगे बढ़ाया।
- भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता धर्मनिरपेक्ष संस्कृति और लोकाचार थी।

गांधी का दृष्टिकोण

- गांधीजी का मानना था कि धर्म एक व्यक्तिगत और निजी मामला है। उन्होंने आगे कहा कि धर्म में नैतिक उपदेशों का एक समूह है जो मानव जाति को जीवन में सही रास्ते पर ले जाता है।
- उन्होंने सभी धर्मों को समान रूप से देखा, उन्होंने "सर्व धर्म संभव" (सभी धर्मों की समानता) की धारणा को लोकप्रिय बनाया। इस विचार को सबसे पहले रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने देखा था।
- गांधीजी ने सभी हिंदू रीति-रिवाजों को आँख बंद करके नहीं अपनाया; बल्कि, उन्होंने भारतीय संस्कृति के धर्मनिरपेक्ष मूल्य को संरक्षित करने के लिए उदार दर्शन और आधुनिकतावाद के लेंस के माध्यम से उनकी जांच की।
- वह किसी भी धार्मिक गतिविधियों का प्रबल विरोध करते थे जो समाज में निचली जातियों (हिंदू धर्म की स्वीकृत वर्ण व्यवस्था का परिणाम) या महिलाओं को नीचा दिखाते थे।

नेहरू का दृष्टिकोण

- नेहरू के धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति वैज्ञानिक मानवतावाद में उनके विश्वास के फलस्वरूप हुई है।
- एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वास्तव में, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करना हो सकता है।
- वैज्ञानिक स्वभाव के निर्माण पर उनका ध्यान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार था क्योंकि यह धार्मिक रूढ़िवाद और अंधविश्वास के खिलाफ संघर्ष का उत्प्रेरक था, जो पूरे देश में व्याप्त था।
- जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता को "सभी धर्मों के लिए राज्य द्वारा समान संरक्षण" के रूप में देखा।

संविधान और धर्मनिरपेक्षता

- इस तथ्य के बावजूद कि "धर्मनिरपेक्ष" शब्द को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था, भारत का संविधान हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहा है।
- प्रस्तावना: भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। यह देश की सरकार में धर्मनिरपेक्षता पर जोर देता है, लेकिन "धर्मनिरपेक्षता" शब्द का प्रयोग संविधान में 42वें संशोधन (1976) तक विशेष रूप से नहीं किया गया था।
- हालांकि, 45वें संशोधन विधेयक के दौरान एक प्रयास के बावजूद, "धर्मनिरपेक्षता" शब्द की एक सटीक परिभाषा को अभी तक संविधान में शामिल नहीं किया गया है।

अनुच्छेद 14	कानून के समक्ष समानता और सभी को कानूनों का समान संरक्षण प्रदान करता है
अनुच्छेद I5	धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करके धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को व्यापक संभव सीमा तक बढ़ाता है।
अनुच्छेद 16(I)	सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है और दोहराता है कि धर्म, जाति, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
अनुच्छेद 25	'विवेक की स्वतंत्रता' प्रदान करता है, अर्थात, सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार है।
अनुच्छेद 26	प्रत्येक धार्मिक समूह या व्यक्ति को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने और धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 27	TIE राज्य किसी भी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्थान के प्रचार या रखरखाव के लिए किसी भी कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
अनुच्छेद 28	विभिन्न धार्मिक समूहों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है।
अनुच्छेद 29 और 30	अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है।
अनुच्छेद 51A	मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों को सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने और हमारी सह संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और सुरक्षित रखने के लिए बाध्य करता है।

भारतीय धर्मनिरपेक्षता के लक्षण

- युक्तिकरण और तार्किकता: धर्मनिरपेक्षता की प्रक्रिया को तेज करने में महत्वपूर्ण हैं। विवेक के 'कारण' का सामान्य अंध विश्वास पर प्रभाव तर्कवाद द्वारा निहित है।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की समृद्ध पुरानी परंपरा का हिस्सा है। यह नागरिकों के हित में पारंपरिक संस्कृतियों, विश्वासों और प्रथाओं का समर्थन और सुरक्षा करता है।
- धर्मनिरपेक्षता की भारतीय विचारधारा "सर्व धर्म संभव" से जुड़ी हुई है, जिसका अर्थ है "सभी धर्मों के लिए समान सम्मान"।
- कोई आधिकारिक धर्म नहीं है: भारत में, किसी भी धर्म को आधिकारिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। यह भी किसी एक धर्म के प्रति निष्ठा का ऋणी नहीं है।
- धार्मिक तटस्थता: भारत किसी एक धर्म के मामलों में दखल न देकर धार्मिक तटस्थता बनाए रखता है। यह सभी धर्मों को समान रूप से स्वीकार करता है।
- सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता: यह सभी धर्मों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। नागरिकों को अपनी पसंद का कोई भी धर्म चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है।
- भारतीय शासन: धार्मिक संस्थान भारतीय शासन में एक छोटी सी भूमिका निभाते हैं। धार्मिक नेताओं का भारत पर प्रभुत्व नहीं है। भारत में, राजनीतिक दल किसी एक धर्म का समर्थन या समर्थन नहीं करते हैं।
- कानून की सर्वोच्चता: विधान और संविधान भारतीय शासन की नींव हैं। हालाँकि, ये किसी भी धर्म के हठधर्मिता और अनुष्ठानों में निहित विचार और मूल्य नहीं हैं।
- राज्य संप्रभु है अर्थात् कोई भी धार्मिक संगठन, चाहे वह मंदिर, चर्च या मदरसा हो, इससे ऊपर नहीं है।

धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी मॉडल

- धर्मनिरपेक्ष शब्द पश्चिम में तीन चीजों को दर्शाता है:
  - धार्मिक स्वतंत्रता।
  - धर्मनिरपेक्षता।
  - धर्मनिरपेक्षता।

- प्रत्येक नागरिक से विश्वास की परवाह किए बिना, एक नागरिक के रूप में समान रूप से व्यवहार किया जाता है।
- राज्य और धर्म का पृथक्करण।
- किसी भी राज्य की नीति को केवल धर्म के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी सरकारी नीति को धार्मिक वर्गीकरण पर आधारित नहीं किया जा सकता है।
- धर्मनिरपेक्षता का पश्चिमी प्रतिमान: "राज्य" और "धर्म" के प्रभाव के विभिन्न क्षेत्र हैं, और न तो राज्य और न ही धर्म को दूसरे के व्यवसाय में हस्तक्षेप करने की अनुमति है
    - सरकार द्वारा किसी भी धार्मिक संस्था की मदद नहीं की जा सकती है। यह धार्मिक रूप से संचालित शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा।

धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल

- धर्मनिरपेक्षता: 'धर्म निरापेक्षता' की वैदिक धारणा से व्युत्पन्न, जो धर्म के प्रति राज्य की तटस्थता को दर्शाता है।
- हालांकि, भारत में न तो कानून में और न ही वास्तविकता में धर्म और राज्य के बीच 'अलगाव का क्षेत्र' है।
- धर्मनिरपेक्षता की भारतीय विचारधारा "सर्वधर्मसम्भव" से जुड़ी हुई है, जिसका अर्थ है "सभी धर्मों के लिए समान सम्मान।"
- राज्य और धर्म दोनों कानूनी रूप से विनियमित और न्यायिक रूप से स्थापित सीमाओं के भीतर, भारत में एक-दूसरे के मामलों में शामिल हो सकते हैं और अक्सर करते हैं और हस्तक्षेप करते हैं।
    - भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सार्वजनिक जीवन से धर्म के पूर्ण बहिष्कार की आवश्यकता नहीं है।
- परिणामस्वरूप, अंतर-धार्मिक और अंतर-धार्मिक प्रभुत्व दोनों को समान महत्व दिया गया।

पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता	भारतीय धर्मनिरपेक्षता
एक दूसरे के मामलों में धर्म और राज्य का सख्त गैर-हस्तक्षेप	राज्य समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति
विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच समानता एक प्रमुख चिंता का विषय है	एक धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच समानता पर बल दिया जाता है
केंद्र में व्यक्ति और उसके अधिकार	व्यक्तिगत और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों की रक्षा की गई।

धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए चुनौतियाँ और खतरे

- सांप्रदायिक राजनीति: राजनेता जनता की धार्मिक भावनाओं से खेलते हैं। यह धार्मिक रूप से आधारित राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और छात्र संघों को विकसित करके समाज में धार्मिक विभाजन का कारण बनता है। यह सब विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के बीच शत्रुता और प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देगा।
- धर्म को राजनीति से अलग न करना: बाबरी मस्जिद का विनाश, 1984 में सिख विरोधी दंगे, दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में मुंबई दंगे, 2002 में गोधरा दंगे, और अतीत की अन्य घटनाओं ने प्रदर्शित किया है कि कैसे लंबे समय से चली आ रही समस्या सांप्रदायिकता कभी भी उभर सकती है।
- छद्म धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास: छद्म धर्मनिरपेक्षता को धर्मनिरपेक्षता को उदासीनता से लागू करने या धर्मनिरपेक्षता के समर्थक होने का दावा करके समझाया जा सकता है।
- उदाहरण के लिए, मुस्लिम मतदाताओं को खोने के डर से, समान नागरिक संहिता को अपनाने और प्रतिक्रियावादी तीन तलाक को निरस्त करने के लिए राजनीतिक संकल्प की कमी रही है।
- बढ़ता कट्टरवाद: बिना परीक्षा के धार्मिक सिद्धांतों की गैर-आलोचनात्मक स्वीकृति। आधुनिकता और बहुलवाद के लोकतांत्रिक मानदंडों के विपरीत, यह रूढ़िवाद, रूढ़िवाद और विशिष्टता में खुद को प्रकट करता है।
- धार्मिक विरोधी: धर्मनिरपेक्षता सभी क्षेत्रों का सम्मान करती है और किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करती है जो कभी-कभी धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करता है।
    - यह धार्मिक पहचान के हठधर्मी, आक्रामक, जुनूनी, विशिष्ट रूपों को कमजोर करता है, साथ ही साथ जो अन्य धर्मों की शत्रुता पैदा करते हैं।
- हाल के वर्षों में हिंदू राष्ट्रवाद का उदय: केवल गायों को मारने और गोमांस खाने के संदेह पर भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई है।
- संवैधानिक अंतर्विरोध: धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक प्रावधान में खामियां हैं और प्रकृति में भेदभावपूर्ण है। कुछ धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत हैं जो परस्पर अनन्य हैं।
- अनुच्छेद 48: हिंदू की धार्मिक भावना का सम्मान करने के लिए गोहत्या पर प्रतिबंध लगाता है लेकिन ऐसे कार्यों को मुस्लिम परंपरा के एक हिस्से के रूप में अनुमोदित किया जाता है।

धर्मनिरपेक्षता का महत्व

- सांस्कृतिक संवर्धन: मुक्ति संग्राम के दौरान और स्वतंत्रता के बाद की यात्रा के दौरान धर्मनिरपेक्षता की खोज ने भारतीय समाज में सांप्रदायिक तनाव को कम किया जो कि मध्यकालीन लोकतांत्रिक शासन और ब्रिटिश की निर्णायक विभाजन और शासन नीति के कारण हुआ था।
- लोकतंत्र को अपनाना: धर्मनिरपेक्षता ने भारतीय लोकतंत्र के सफल पथ के सात दशकों को चिह्नित किया है। इसने लोकतंत्र को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप एक अधिक समावेशी और परिपक्व लोकतंत्र हुआ है।
- शांति और स्थिरता: धर्मनिरपेक्षता ने भारतीयों में भारी सहिष्णुता पैदा की और उन्हें विभिन्न धर्मों की मान्यताओं और प्रथाओं का सम्मान और प्रशंसा करना सिखाया।
- अल्पसंख्यक संरक्षण: धर्मनिरपेक्षता बड़े धार्मिक संगठनों को कमजोर धार्मिक समूहों पर अत्याचार करने से रोकती है। धर्मनिरपेक्षता की यह धारणा आजादी से कुछ समय पहले हुए सांप्रदायिक दंगों को रोकने में मदद करती है। यह अल्पसंख्यकों के धार्मिक उत्पीड़न का भी विरोध करता है।
- आर्थिक विकास: अगर भारत धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है तो दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था में भारत का परिवर्तन तेज हो जाएगा। इससे 1940 के दशक के अकाल से जो दाग छूटा था, वह खत्म हो जाएगा। लोगों के दृष्टिकोण को बदलकर, इसने भारतीय लोगों के सामान्य जीवन स्तर में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि की है।

सरकारी पहल

- 42वां संशोधन अधिनियम 1976: भारत को कई संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया।
- अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से एक स्पिन-ऑफ के रूप में 2006 में स्थापित।
- राष्ट्रीय एकता परिषद (NIC):
  - यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है।
  - 1962 में प्रधानमंत्री की देखरेख में सांप्रदायिकता का मुकाबला करने और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था।
- सच्चर समिति: मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए (2005-2006)।

सच्चर समिति की सिफारिशें:

- वंचित समूहों की शिकायतों को देखने के लिए समान अवसर आयोग का गठन
- सार्वजनिक निकायों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नामांकन प्रक्रिया बनाएं।
- एक परिसीमन प्रक्रिया स्थापित करें जो अनुसूचित जाति के लिए उच्च अल्पसंख्यक आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित नहीं करती है।
- मुसलमानों की रोजगार में हिस्सेदारी बढ़ाएं।
- मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने के लिए तंत्र तैयार करना।
- रक्षा, सिविल और बैंकिंग परीक्षाओं में योग्यता के लिए मदरसों से डिग्री को मान्यता देना।
- सुझाव दिया कि नीतियों को "विविधता का सम्मान करते हुए समावेशी विकास और समुदाय के 'मुख्यधारा' पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"

- रंगनाथ मिश्रा आयोग: भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति की जांच करने के लिए (2004-2007)।

रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशें:

- मुसलमानों के लिए 10% और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी नौकरियों और सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (स्नातक और ऊपर) में सीटों पर 5% कोटा सुरक्षित करें।
- धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुख्य रूप से मुस्लिमों के लिए 27% के मौजूदा ओबीसी कोटे में से 8.4% कोटा आरक्षित करें।
- अनुसूचित जाति आरक्षण कोटे के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुमति दें।

- **बहु:क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम-**
  - उद्देश्य: अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और अल्पसंख्यक सांद्रता में असंतुलन को कम करना।
  - मानक पाठ्यक्रम के साथ, मूल्य और नैतिक शिक्षा प्रस्तुत की जाती है।
  - स्वतंत्रता के बाद, विशिष्ट निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (अनुच्छेद 326) की स्थापना की गई।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (**NMDFC**): स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता और छूट देकर पंजीकृत अल्पसंख्यकों के बीच आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 1994 में स्थापित।

- कल्याण योजनाएं जैसे नई उधन, नई रोशनी (अल्पसंख्यकों का नेतृत्व विकास)।
- (महिलाओं), सीखो और कमाओ (सीखें और कमाएं)।
- कौशल विकास सह रोजगार कार्यक्रम: जैसे। भारत की मुख्यधारा के विकास में जम्मू-कश्मीर के युवाओं को समायोजित करने के लिए उड़ान और हिमायत की शुरुआत हुई।
- वक्फ बोर्ड: नियमितीकरण और कम्प्यूटरीकरण

भारत में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में न्यायिक घोषणाएं

केशवानंद भारती मामला (1973)	धर्मनिरपेक्षता को "भारतीय संविधान की मूल संरचना" के स्तंभों में से एक माना गया है और इसे संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता है
एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994)	सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए थे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा हमारे संवैधानिक दर्शन में बहुत अंतर्निहित थी। इस प्रकार, संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता को संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया था।
स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामला (1977)	उच्चतम न्यायालय ने माना कि धर्म के प्रचार के अधिकार (अनुच्छेद 25) में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का अधिकार शामिल नहीं है क्योंकि यह सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकता है।
रतिलाल बनाम स्टेट ऑफ़ बॉम्बे (1954)	यह माना गया कि राज्य द्वारा नियमों को धर्म की अनिवार्यता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
भारत में चर्च ऑफ गॉड (पूर्ण सुसमाचार) बनाम केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन (2000)	यह माना गया कि चूंकि धर्म का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, इसलिए दूसरों की शांति भंग करके कोई भी प्रार्थना (आवाज बढ़ाने वाले या ढोल बजाकर) नहीं की जानी चाहिए।

सार्वभौमिक नागरिक संहिता (UCC)

- अनुच्छेद 44: "राज्य भारत के क्षेत्र में एक UCC प्राप्त करने का प्रयास करेगा"।
    - तात्पर्य यह है कि भारत के सभी नागरिक, विश्वास की परवाह किए बिना, व्यक्तिगत चिंताओं को नियंत्रित करने वाले समान कानूनों के अधीन हैं।
- औपनिवेशिक भारत में, ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए बी एन राव समिति गठित की गई थी।
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच निर्वसीयत या अनिच्छुक उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और संहिताकरण के लिए अपनाया गया।
- महत्वपूर्ण मामले जहां अदालतों ने UCC पर जोर दिया:
    - शाह बानो मामला (1985)
    - सरला मुद्गल केस (1995)

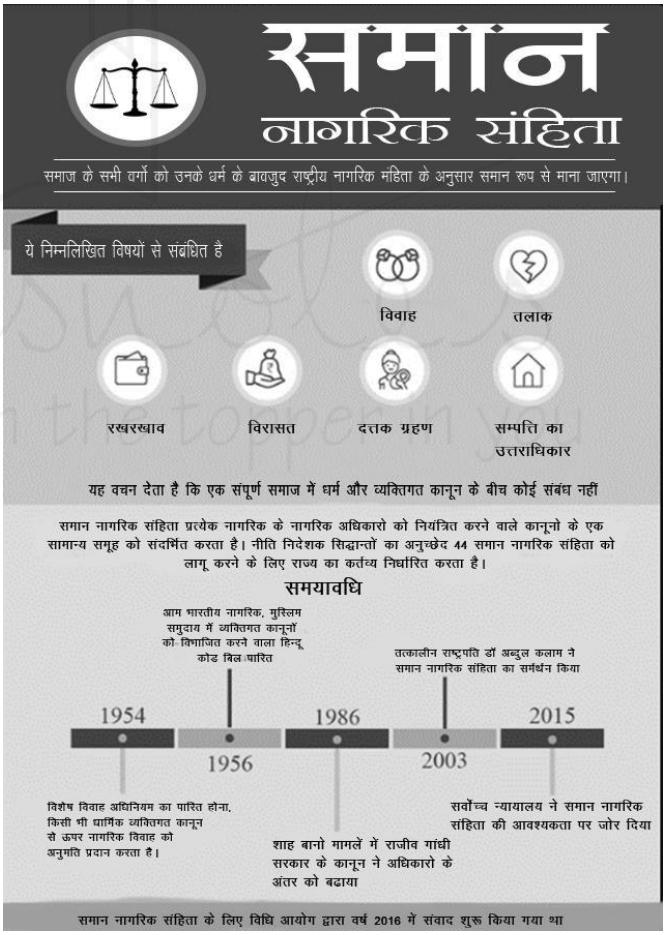

UCC के सकारात्मक पहलू

- सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत कानूनों से धर्म को हटाकर धार्मिक विश्वासों की परवाह किए बिना सभी के लिए समान न्याय सुनिश्चित करना।

- महिलाओं की स्थिति में सुधार में सहायता, क्योंकि भारतीय समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक है, पुराने धार्मिक कानून अभी भी पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करते हैं और महिलाओं को नियंत्रित करते हैं।
- विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में कमियां होती हैं जिनका फायदा सत्ता के पदों पर बैठे लोग उठाते हैं। मानकीकरण के परिणामस्वरूप ऐसी कमियां कम हो जाएंगी।
- उदाहरण के लिए, जाति पंचायत अनौपचारिक समूह हैं जो प्रथागत नियमों के आधार पर निर्णय लेते हैं। पारंपरिक कानूनों के बजाय, यूसीसी यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी कानूनों का सम्मान किया जाए।

UCC को लागू करने में चुनौतियां

- धर्मनिरपेक्षता की धारणा को खतरे में डाल सकता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 और 26 के प्रावधान, जो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं।
- धार्मिक रूढ़िवाद, जो ऐसे सुधारों का विरोध करता है क्योंकि वे अपनी धार्मिक प्रथाओं के साथ संघर्ष करते हैं।
- सभी धर्मों द्वारा मान्यता प्राप्त एक एकीकृत कानून बनाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- सामाजिक सुधार लाने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करना चाहिए।
- सरकार को एक समय में हर चीज में एकरूपता के लक्ष्य के स्थान पर विभिन्न पहलुओं जैसे शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार और रखरखाव को UCC में चरणों में लाना चाहिए।
- सभी व्यक्तिगत कानूनों का संहिताकरण सुनिश्चित करें ताकि पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों का परीक्षण संविधान के मौलिक अधिकारों की आड़ में किया जा सके।

5 CHAPTER सांप्रदायिकता

- साम्प्रदायिकता अर्थात् अपने समुदाय से संबंधित होने की प्रबल भावना। भारतीय लोकप्रिय प्रवचन में अपने स्वयं के धर्म के लिए एक अस्वास्थ्यकर संबंध के रूप में व्याख्या की गई।
- विचारधारा - एक समुदाय को एकजुट करने के लिए, यह आंतरिक विभाजन को छुपाता है और अन्य समुदायों के सामने समूह की अंतर्निहित एकता को उजागर करता है।
- यह रूढ़िवादी विचारों और आदर्शों के साथ-साथ समाज को विभाजित करने वाले अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता और घृणा को बढ़ावा देता है।
- साम्प्रदायिकता का सकारात्मक पक्ष: समुदाय के लिए स्नेह जिसमें समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के प्रयास भी शामिल हैं।
- नकारात्मक पक्ष: विचारधारा जो अन्य समूहों के संबंध में एक धार्मिक समूह की अपनी पहचान पर जोर देती है, जिसमें दूसरों की हानि पर अपने स्वयं के हितों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है।

भारत में साम्प्रदायिकता

- भारत में, सांप्रदायिकता आधुनिक राजनीति के निर्माण का परिणाम है, जिसकी उत्पत्ति 1905 में बंगाल के विभाजन और 1909 के भारत सरकार अधिनियम के तहत एक अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना में हुई थी।
- बाद में, 1932 में, गांधी जी और अन्य लोगों के महत्वपूर्ण विरोध के बावजूद, ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न समुदायों को शांत करने के लिए सांप्रदायिक पुरस्कार का उपयोग किया।
- राजनीतिक कारणों से मुसलमानों और अन्य समूहों को संतुष्ट करने के लिए ये सभी कार्रवाई ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी।
- तब से साम्प्रदायिकता की भावना प्रबल हुई है, भारतीय समाज को खंडित करने और उथल-पुथल का कारण बना है।

भारत में सांप्रदायिकता के चरण

स्वतंत्रता पूर्व: सांप्रदायिक चेतना मुख्य रूप से धार्मिक जुनून के बजाय राजनीतिक औचित्य से प्रेरित थी, लेकिन केवल ब्रिटिश भारत में धार्मिक भावनाओं का हेरफेर एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया।

- 1857 के विद्रोह ने मुस्लिम अभिजात वर्ग को अपने घुटनों पर ला दिया और ब्रिटिश ताज को नियंत्रण सौंप दिया।
  - चूंकि यह अनुमान लगाया गया था कि मुस्लिम-हिंदू संघ ब्रिटिश सत्ता को अस्थिर कर देगा, अंग्रेजों ने मजबूत सांप्रदायिकता के अभियान की शुरुआत की।
- 1924 में धार्मिक पुनरुत्थानवाद
  - हिंदुओं ने शुद्धि और संगठन आंदोलनों की शुरुआत की, जबकि मुसलमानों ने तब्लीग और तंजीम आंदोलनों की शुरुआत की।
  - परिणामत: हिंदुओं ने हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में सोचना और बात करना शुरू कर दिया, जबकि मुसलमानों ने इस्लामिक राष्ट्रवाद के बारे में सोचना और बोलना शुरू कर दिया, जिससे द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई।
  - परिणामत: अंग्रेजों को शाही राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक भेदों का फायदा उठाने में कोई परेशानी नहीं हुई।
- सांप्रदायिक हिंसा (1923–30)
  - पंजाब में अमृतसर और मुल्तान में दंगे भड़क उठे। उसी वर्ष मेरठ, मुरादाबाद, इलाहाबाद और अजमेर में हिंसा भड़क उठी।
  - सहारनपुर में मुहर्रम के जश्न के दौरान, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों के सांप्रदायिक पुरस्कार से सामुदायिक तनाव बढ़ गया था।
  - न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि सिखों, एंग्लो-इंडियन, भारतीय ईसाइयों, यूरोपीय, जमींदारों, वंचित लोगों और वाणिज्य और उद्योग के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व स्थापित किया गया था।

स्वतंत्रता के बाद

- **भारत का विभाजन, 1947**
  - पाकिस्तान और भारत दोनों में, बड़ी संख्या में हिंदुओं और मुसलमानों का नरसंहार किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, और कई बच्चों ने अपने माता-पिता को खो दिया।
- **1984 के सिख विरोधी दंगे**
  - सैन्य अभियान को अधिकृत करने के अपने कार्यों के प्रतिशोध में अपने ही सिख अंगरक्षक द्वारा प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की मौत ने सिख विरोधी भीड़ को बड़ी संख्या में सिखों को मारने के लिए प्रेरित किया।
- **1989 में कश्मीरी हिंदू पंडितों की जातीय सफाई**
  - कश्मीर घाटी में चरमपंथी इस्लामी आतंकवाद ने भाईचारे को एक विनाशकारी झटका दिया, जिसके परिणामस्वरूप भयानक हत्याएं हुईं और कश्मीरी पंडितों का घाटी से अन्य क्षेत्रों और भारत के कोनों में बड़े पैमाने पर प्रवास हुआ, जिससे वे अपने ही देश में शरणार्थी बन गए।
  - तब से, घाटी सांप्रदायिक हिंसा में घिरी हुई है, और निरंतर उथल-पुथल ने लोगों के विकास में बाधा उत्पन्न की है।

- **अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस, 1992**
  - 1990 में, हिंदू धार्मिक समूहों के विरोध और बड़ी संख्या में "कार सेवकों" ने बाबरी मस्जिद को नष्ट करने और राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में पूरे भारत से अयोध्या का दौरा किया।
  - इन कदमों के परिणामस्वरूप बहुत अधिक हिंसा हुई।
- **असम सांप्रदायिक हिंसा, 2012**
  - बोडो (आदिवासी, ईसाई और हिंदू मान्यताओं) और मुसलमानों के बीच जातीय टकराव 2012 में हुआ, जब जुलाई 2012 में कोकराझार के जॉयपुर में अज्ञात बदमाशों ने चार बोडो किशोरों की हत्या कर दी, बोडो और बंगाली भाषी मुसलमानों के बीच जातीय तनाव एक दंगे में बदल गया।
- **मुजफ्फरनगर हिंसा, 2013**
  - अगस्त-सितंबर 2013 में भारत के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच जातीय संघर्ष अज्ञात कारणों से सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बना और हजारों लोगों को उनकी भूमि से विस्थापित कर दिया गया।

सांप्रदायिकता के तत्व

- नरम चरण: यह विश्वास है कि एक ही धर्म का पालन करने वाले लोगों के एक समान धर्मनिरपेक्ष हित होते हैं यानी समान राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हित।
- मध्यम स्तर: भारत जैसे बहु-धार्मिक समाज में, एक धर्म के अनुयायियों के धर्मनिरपेक्ष हित दूसरे धर्म के अनुयायियों के हितों से भिन्न और भिन्न होते हैं।
- चरम अवस्था: विभिन्न धार्मिक समुदायों के हितों को परस्पर असंगत, विरोधी और शत्रुतापूर्ण देखा जाता है।

सांप्रदायिकता के लक्षण

- विश्वास अर्थात् यह मानना कि कुछ धार्मिक समूह दुनिया के बाकी धर्मों से अलग हैं।
- तर्क: समुदाय की धार्मिक संवेदनाएं, साथ ही साथ इसके धर्मनिरपेक्ष हित, अन्य समूहों से अलग हैं।
- इस पर आधारित होती है कि यह विश्वास कि एक समुदाय के विशेष हितों को एक अलग पहचान बनाए रखने और इसे इस तरह से संरचित करके बढ़ाया जा सकता है कि उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से संबोधित किया जा सके।
- सांप्रदायिक हितों को आमतौर पर राष्ट्रीय हितों पर प्राथमिकता दी जाती है।
- समुदायों के भीतर आपसी अविश्वास और संघर्ष की वृद्धि सांप्रदायिकता के लिए उपजाऊ जमीन है।
- कुछ नागरिकों को सांप्रदायिकता के तहत नागरिकों के बजाय एक धार्मिक समुदाय के सदस्य के रूप में देखा जाता है।
- पहले, सांप्रदायिक दंगों ने आंदोलन को गति दी, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं टिके; हालांकि, हाल के वर्षों में, वे लंबे समय तक चले हैं। बड़ौदा में सांप्रदायिक दंगे 1981 में शुरू हुए और लगभग एक साल तक जारी रहे।

सांप्रदायिकता की विशेषताएं

- यह रूढ़िवादिता और असहिष्णुता पर आधारित बहुआयामी प्रक्रिया है।
- यह अन्य धर्मों के प्रति तीव्र अस्वीकरण का प्रचार करता है।
- समुदायों के बीच आपसी अविश्वास और असामंजस्य के उद्भव के लिए आधार प्रदान करता है
- यह अन्य धर्मों और उनके मूल्यों के उन्मूलन के लिए खड़ा है।
- अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा के उपयोग सहित चरमपंथी रणनीति अपनाता है।
- सांप्रदायिकता सत्ता के दुरुपयोग की ओर ले जाती है। यह बल, धोखाधड़ी, आर्थिक और अन्य प्रलोभनों और यहां तक कि विदेशी शक्तियों से सहायता सहित अन्य समुदायों पर समुदाय के सामाजिक और धार्मिक मानदंडों पर जोर देने का प्रयास करता है।
- दृष्टिकोण में विशिष्ट अर्थात् एक संप्रदायवादी अपने ही धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानता है।
- सांप्रदायिकता कुछ नागरिकों को नागरिक के रूप में नहीं बल्कि कुछ विशिष्ट धार्मिक समुदाय के सदस्य के रूप में मानती है।

सरकार के कदम

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC): यह पीड़ितों के अधिकारों के लिए लड़ता है, लेकिन इसकी सिफारिशें प्रकृति में सलाहकारी हैं, जो महत्वपूर्ण परिणाम नहीं देती हैं।
- सच्चर समिति: इसे 2005 में स्थापित किया गया था और 2010 में सुझाव दिया गया था कि एक समान अवसर आयोग (EOC) की स्थापना की जाए।
  - EOC को धर्म, जाति, लिंग और शारीरिक क्षमता के आधार पर भेदभाव की सभी व्यक्तिगत स्थितियों के लिए एक शिकायत निवारण प्रक्रिया स्थापित करनी थी।
- नानावटी समिति: गुजरात सरकार द्वारा 2002 में गुजरात हिंसा के बारे में पूछताछ करने के लिए।

नानावती समिति की सिफारिशें

- (सांप्रदायिक दंगों के दौरान) रिपोर्ट प्रकाशित करते समय मीडिया पर उचित प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए।
- हिंदू और मुस्लिम समुदायों के कुछ वर्गों के बीच गहरी नफरत दंगों का प्राथमिक कारण थी, इसलिए सरकार को हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाने के उपाय करने चाहिए।